

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2020

विषय : लक्षणरहित (asymptomatic) कोविड-19 संक्रमित रोगियों के होम-
आइसोलेशन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई 2020 को निर्गत नवीनतम दिशा-निर्देश एवं सम्यक विचारोपरान्त, लक्षणरहित (asymptomatic) ऐसे रोगियों को उनके अपने निवास में ही सेल्फ-आइसोलेशन का विकल्प उपलब्ध कराने हेतु गाइडलाइन्स निर्गत की गयी हैं, जिनके निवास में इस हेतु वांछित सुविधाएं उपलब्ध हों।

2-अतः उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में कोविड-19 हेतु होम आइसोलेशन की सुविधा निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अंतर्गत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है:-

1. होम-आइसोलेशन की पात्रता-

1. उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के द्वारा ऐसे व्यक्ति को लक्षणरहित (asymptomatic) रोगी के रूप में चिन्हित किया गया हो।
2. ऐसे रोगी के निवास पर स्वयं को आइसोलेट करने एवं परिजनों को क्वारेन्टीन करने की सुविधा उपलब्ध हो। घर में कम से कम दो शौचालय अवश्य होने चाहिए।
3. ऐसे रोगी जिनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता किसी कारणवश (एच०आई०वी०/अंग-प्रत्यारोपित/कैंसर का उपचार प्राप्त करने वाले) कमजोर है वे होम-आइसोलेशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. 24 घंटे रोगी की देखरेख करने के लिए एक देखभाल करने वाला व्यक्ति (care-giver) उपलब्ध हो। सम्पूर्ण आइसोलेशन अवधि के दौरान देखभाल करने वाले व्यक्ति एवं सम्बन्धित चिकित्सालय के मध्य सम्पर्क बनाए रखना होम-आइसोलेशन के लिए एक प्रमुख अनिवार्यता है।
5. देखभाल करने वाले व्यक्ति एवं रोगी के नजदीकी सम्पर्कों को प्रोटोकॉल एवं उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के परामर्श के अनुसार हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफाइलेक्सिस लेनी होगी।

6. लिंक www.mygov.in/aarogya-setu-app/ पर उपलब्ध आरोग्य सेतु मोबाइल एप को मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा तथा इस एप को ब्लू-टूथ एवं वाई-फाई के माध्यम से सदैव सक्रिय रखना होगा। इसके साथ ही, दिन में दो बार इस एप में सूचना को अपडेट करना होगा। स्मार्ट फोन न होने की दशा में, रोगी के द्वारा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर अपने स्वास्थ्य के स्थिति की जानकारी देनी होगी।
7. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विकसित किए गए आइसोलेशन ऐप <https://dgmhup-covid19.in/COVID19.apk> को मरीज को अपने स्मार्ट फोन पर डाउनलोड करना होगा।
8. रोगी को अपने स्वास्थ्य के नियमित अनुश्रवण के दायित्व को स्वीकार करना होगा तथा सम्बन्धित जनपद के जिला सर्विलान्स अधिकारी को इसकी नियमित सूचना प्रदान करनी होगी।
9. होम आइसोलेशन में रहने वाले लक्षणविहीन कोविड धनात्मक मरीजों को एक किट क्य कर अपने पास रखनी होगी, जिसमें पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, ग्लब्स, सोडियम हाइपोक्लोराइट साल्यूशन एवं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वस्तुएँ सम्मिलित होंगी।
10. रोगी को **संलग्नक-1** पर सेल्फ-आइसोलेशन हेतु एक अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा क्वारेन्टीन गाइडलाइन्स का अनुपालन करना होगा। इस पर सम्यक विचारोपरान्त, उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के द्वारा होम-आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी।
11. रोगी एवं देखभाल करने वाले व्यक्ति को **संलग्नक-2** के अनुसार निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

2. चिकित्सा की आवश्यकता की स्थिति-

रोगी एवं देखभाल करने वाला व्यक्ति नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करेंगे। निम्नलिखित गंभीर लक्षण विकसित होने पर तत्काल चिकित्सीय सहायता हेतु जनपद के स्वास्थ्य अधिकारियों/नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क किया जाएगा-

1. सांस लेने में कठिनाई।
2. शरीर में आक्सीजन की संतृप्ता (saturation) में कमी ($SpO_2 < 95\%$)
3. सीने में लगातार दर्द/भारीपन होना।
4. मानसिक भ्रम की स्थिति अथवा सचेत होने में असमर्थता।
5. बोलने में समस्या।
6. चेहरे या किसी अंग में कमजोरी।
7. होठों/चेहरे पर नीलापन।

3. जनपदीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों की भूमिका-

1. जनपदीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों के द्वारा होम-आइसोलेशन में रखे गए सभी कोविड संक्रमित रोगियों का अनुश्रवण किया जाएगा।
2. होम-आइसोलेशन में रखे गए सभी कोविड संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुश्रवण फील्ड स्टाफ/सर्विलान्स टीम के साथ-साथ एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के द्वारा किया जाएगा तथा शरीर का तापमान, पल्स-रेट एवं आक्सीजन

संतृप्ता को रिकार्ड किया जाएगा। फील्ड स्टाफ के द्वारा रोगी एवं देखभाल करने वाले व्यक्ति को इन पैरामीटर को नापने के लिए संवेदित किया जाएगा।

3. होम-आइसोलेशन में रखे गए रोगी का विवरण नियमितरूप से कोविड पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा तथा जिलास्तरीय अधिकारियों के द्वारा इस अपडेशन का अनुश्रवण किया जाएगा।

4. होम-आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने अथवा उपचार की आवश्यकता की स्थिति रोगी को शिफ्ट करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा तत्काल निर्णय लिया जाएगा।


5. फील्ड स्टाफ के द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी परिजनों एवं नजदीकी सम्पर्कों का अनुश्रवण एवं टेस्टिंग किया जाएगा।

होम-आइसोलेशन की समाप्ति-

होम-आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों का होम-आइसोलेशन कोविड धनात्मक होने के 10 दिनों पश्चात तथा पिछले 3 दिनों बुखार न आने की स्थिति में समाप्त माना जाएगा। इसके पश्चात, अगले 7 दिनों तक रोगी घर पर ही रह कर अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करेंगे। होम-आइसोलेशन की समाप्ति पर टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,



(अमित मोहन प्रसाद)


अपर मुख्य सचिव

संख्या- (1)/पांच-5-2020 तददिनांक:-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
6. निदेशक, संचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(वी0 हेकासी0 झिमोमी)
सचिव

सेल्फ-आइसोलेशन हेतु अण्डरटेकिंग

मैं _____ पुत्र/पत्नी _____
निवासी _____

कोविड-19 का पुष्ट/संदिग्ध रोगी चिन्हित होने पर एतद्वारा स्वेच्छा से बताई गई अवधि तक कड़ाई से सेल्फ-आइसोलेशन में रहने का प्रतिज्ञान करता हूँ। इस अवधि में, मैं स्वयं का एवं अपने निकट के व्यक्तियों के स्वास्थ्य का अनुश्रवण सुनिश्चित करूंगा तथा स्वयं के स्वास्थ्य में गिरावट अथवा परिजनों में कोविड-19 के किसी भी लक्षण के विकसित होने पर निर्धारित सर्विलान्स टीम/नियंत्रण कक्ष से तत्काल सम्पर्क स्थापित करूंगा एवं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँगा।

मुझे सेल्फ-आइसोलेशन के दौरान अपनाई जाने वाली समस्त सावधानियों को विस्तार से समझा दिया गया है।

सेल्फ-आइसोलेशन प्रोटोकॉल के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर प्रचलित विधि के अन्तर्गत मेरे विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जा सकती है। मेरे विरुद्ध महामारी अधिनियम 1897 एवं उ0प्र0 महामारी नियंत्रण अध्यादेश, 2020 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

हस्ताक्षर
दिनांक
मोबाइल-